(भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2018

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़, नई दिल्ली, आशुलिपिक भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जहां तक इनका संबंध ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़ में आशुलिपिक के पद से है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़, नई दिल्ली में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़, नई दिल्ली, आशुलिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श और कारणों को लेखबद्ध कर आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल-4 (25500-81100/- रुपए)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18- वर्ष के बीच 27 (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पणी: आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है । आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित तारीख़ होगी । टिप्पण: आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	i. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता । ii. कौशल परीक्षा मानदंड: डिक्टेशन: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट लिप्यंतरण: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटर पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि हेतु) में: 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़- अध्यक्ष 2. प्रशासन अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नज़फगढ़- सदस्य 3. एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं

(सं. ए.12018/6/2015-एमएच-II)

अवर सचिव, भारत सरकार